

10/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी
हाजिर। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। नवीनतम जमाबंदी
के अनुसार पालना पूर्ण हो
गई है। अतः इस प्रारूप को अके
चलाने कोई औचित्य नहीं है। अतः
प्रारूप की कार्यवाही इसी स्तर पर
ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फेल
शुमार है, दर्ज नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर है।
निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को
सेर इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
अयपुर शहर प्रथम